

झारखण्ड सरकार  
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

फोटो

राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन प्रपत्र

जिला— .....

प्रखण्ड .....

नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत का नाम .....

ग्राम ..... वार्ड सं०—.....

आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम एवं कोड सं०—.....

**लाभुक की विवरणी**

1. आवेदिका का नाम :
2. आवेदिका का जन्म तिथि :  
(आयु प्रमाण संबंधी वैध प्रमाण पत्र प्रति संलग्न, जिसमें दिवस, माह एवं वर्ष का स्पष्ट अंकण हो)
3. पति (पुनर्विवाहोत्तर संबंध से) का नाम, पूरा पता एवं व्यवसाय :
4. पति (पुनर्विवाहोत्तर संबंध से) का जन्म तिथि :  
(आयु प्रमाण संबंधी वैध प्रमाण पत्र प्रति संलग्न, जिसमें दिवस, माह एवं वर्ष का स्पष्ट अंकण हो)
5. दिवंगत पति का नाम एवं मृत्यु प्रमाण पत्र :  
(मृत्यु प्रमाण संबंधी वैध प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न)
6. लाभुक का आधार सं० :  
(आधार की प्रति संलग्न)
7. आवेदिका का खाता सं० (लाभार्थी के नाम से एकल खाता) :  
बैंक का नाम :  
शाखा का नाम :  
IFSC Code :  
(बैंक पासबुक की प्रति संलग्न)
8. आवेदिका के झारखण्ड राज्य के निवासी संबंधी वैध प्रमाण पत्र :  
यथा— निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न)
9. पुनर्विवाह के संदर्भ में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र :  
(पुनर्विवाह की तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदन समर्पित किया गया हो)  
(वैध प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न)
10. दहेज नहीं देने संबंध घोषणा पत्र (मूल प्रति में) :

**घोषणा**

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई सभी सूचनाएँ सही हैं एवं दिए गए किसी भी गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार होऊँगी। मैं अपना आधार न० अपनी स्वेच्छा से इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उपलब्ध करा रही हूँ।

स्थान :-

दिनांक :-

(आवेदिका का हस्ताक्षर)

## सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि आवेदन में सभी सूचनाओं/तथ्यों की प्रविष्टि है एवं संदर्भित/उल्लेखित प्रमाण पत्र/अभिलेख/दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। इनकी तथा इनके दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं भौतिक/स्थलीय सत्यापन किया गया एवं इस आलोक में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य/निष्कर्ष है कि :-

\* (अनुशंसा करने हेतु परामर्श)

\* (अस्वीकृति हेतु परामर्श-विस्तृत कारण सहित)

(सत्यापनकर्ता का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर)

## अनुशंसा

सत्यापित किया जाता है कि आवेदन में सभी सूचनाओं/तथ्यों की प्रविष्टि है एवं संदर्भित/उल्लेखित प्रमाण पत्र/अभिलेख/दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। इनकी तथा इनके आलोक में सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य/निष्कर्ष पर अधोहस्ताक्षरी का सम्यक जाँचोपरांत मंतव्य/निष्कर्ष है कि :-

\* (स्वीकृति हेतु परामर्श)

\* (अस्वीकृति हेतु परामर्श-विस्तृत कारण सहित)

(सत्यापनकर्ता का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर)

**नोट: -**

1. लाभार्थी झारखण्ड राज्य के निवासी हो।
2. लाभार्थी के आयु विवाह योग्य हो (गणना विवाह की तिथि आधारित होगी)
3. सेवा प्राप्ति हेतु लाभार्थी के पति (पुनर्विवाहोत्तर संबंध से) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित अथवा सेवानिवृत्त नहीं होना अथवा इन नियोजनकर्ता से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं होना अथवा आयकर दाता नहीं होना आवश्यक होगा। इस संदर्भ में लाभार्थी द्वारा स्व-घोषणा पत्र समर्पित किया जायेगा।
4. लाभार्थी के दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
5. पुनर्विवाह के संदर्भ में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
6. लाभार्थी का आधार उपलब्ध हो।
7. पुनर्विवाह की तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदन समर्पित किया गया हो।
8. दहेज नहीं देने संबंध घोषणा पत्र।
9. आवेदन प्रपत्र में अंकित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों/दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियों आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की गई है।

## राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन संदर्भित स्व-घोषणा प्रपत्र

(मार्गनिर्देशांक-1324/70 (स्वी०), दिनांक- 12.09.2023 के कंडिका- 3.(iii). (c) के आलोक में)

मैं, ..... पिता/माता/अभिभावक का नाम .....

....., ग्राम ....., प्रखण्ड ..... थाना .....

....., जिला ....., राज्य ..... की निवासी हूँ।

मेरे पति .....

..... (नाम एवं पूरा पता) (पुनर्विवाहोत्तर संबंध से) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी रूप से नियोजित अथवा सेवानिवृत्त नहीं हैं अथवा इन नियोजनकर्ता से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं एवं आयकरदाता नहीं हैं। मेरे पति (पुनर्विवाहोत्तर संबंध से) .....

पेशा से संबद्ध हैं।

मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्य सत्य अंकित किए गए हैं तथा एतद् संबंध में किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर मैं स्वयं दोषी मानी जाऊँगी एवं विधिसम्मत दंड की भागी होऊँगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदिका का हस्ताक्षर एवं तिथि

## राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन संदर्भित स्व-घोषणा प्रपत्र

(मार्गनिर्देशांक-1324/70 (स्वी०), दिनांक- 12.09.2023 के कांडिका- 3.(iii). (g) के आलोक में)

मैं, ..... पिता/माता/अभिभावक का नाम .....

....., ग्राम ....., प्रखण्ड ..... थाना .....

....., जिला ....., राज्य ..... की निवासी हूँ। मेरा विवाह

(पुनर्विवाहोत्तर संबंध से) .....

..... (पति का नाम एवं पूरा पता) से दिनांक ..... को .....

..... के पते पर सम्पन्न हुआ है।

मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्य सत्य अंकित किए गए हैं तथा एतद् संबंध में किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर मैं दोषी मानी जाऊँगी एवं विधिसम्मत दंड की भागी होऊँगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदिका का हस्ताक्षर एवं तिथि

## राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन संदर्भित स्व-घोषणा प्रपत्र

(मार्गनिर्देशांक-1324/70 (स्वी०), दिनांक- 12.09.2023 के कांडिका- 3.(iv). (d) के आलोक में)

### दहेज नहीं लेने से संबंधित घोषणा पत्र

मैं, ..... पिता/माता/अभिभावक का नाम .....  
....., ग्राम ....., प्रखण्ड ..... थाना .....  
....., जिला ....., राज्य ..... की निवासी हूँ।

मेरे अथवा मेरे पिता/माता/अभिभावक/परिवार द्वारा मेरे विवाह पर वर पक्ष को किसी भी प्रकार का/रूप में दहेज नहीं दिया गया है।

साथ ही मैं शपथ लेती/करती हूँ कि न दहेज दूँगी न दहेज लूँगी अथवा न ऐसे किसी कृत्य में सम्मिलित होऊँगी।

मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्य सत्य अंकित किए गए हैं तथा एतद् संबंध में किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर मैं दोषी मानी जाऊँगी एवं विधिसम्मत दंड की भागी होऊँगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदिका का हस्ताक्षर एवं तिथि